FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम ब्यावर

प्रेमाराम बनाम दुर्गाराम वगैरह

किस्म मुकदमा ~~रा.अ.~~ 111,128 LRAct 284/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2021	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत पुरी ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.12.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर	
08.12.21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल मय तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-27/01/2022 को पेश हो। [signature]	
27/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-22/02/2022 को पेश हो। [signature]	

22/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण,
बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष
तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज
5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या
उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं
हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते
बहस पत्रावली दिनांक 23/03/2022 को पेश हो।

सहायक [illegible]
(SDO) [illegible]

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी
के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों की खाते-
दारी भूमि शेढा-मेड आई हुई है खेतों के बिच जो पुरानी माडे
व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से
बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का
सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सीमाओं को लेकर
प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता
है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने
हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश-
बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावें।
अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू०
अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की
पैमाइशबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
अंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
सहायक कलेक्टर
([illegible])

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 205 दिनांकः– 23/03/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. पूनमाराम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी लूनाड़ा, पटवार मण्डल लूनाड़ा, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. गुसाईराम पुत्र जीयाराम वगैरा 28, जाति जाट, निवासी लूनाड़ा, पटवार मण्डल लूनाड़ा, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 284 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लूनाड़ा, पटवार हल्का – लूनाड़ा, तहसील – बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1035, 826 रकबा क्रमशः 2.3946, 2.2976 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 206 to 210 दिनांकः– 23/03/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लूनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पूनमाराम पुत्र उदाराम,
4. विप्रार्थी श्री गुसाईराम पुत्र जीयाराम वगैरा 28,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु